संख्या-902/2023/5271(1)/41-2023-CN-1699656-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः: दिनांकः 04 दिसम्बर, 2023

विषयः- पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452- पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय-80- सामान्य- 104 सर्वधन तथा प्रचार-45- विभिन्न पर्यटन स्थलो हेतु भूमि कय-60 भूमि क्रय में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० के पत्र सं0-5636/6-1- 1(1468)/2023-24, दिनांक 31.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय-60- भूमि का क्रय मद में रू० 4500.00 लाख (रूपये पैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख स्थलों का समेकित विकास, 24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में से लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय-60- भूमि का क्रय मद में रू0 1000.00 लाख (रू० दस करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-5271/41-2023-C.N.-1604765-2021, दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू० दस करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी०एल०ए०/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय- विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2024 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ० प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ० प्र०, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ० प्र० शासन, लखनऊ।

9 गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने के पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20232024-1604765-2021

विषयः पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452- पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय-80- सामान्य- 104 सर्वधन तथा प्रचार 45 विभिन्न पर्यटन स्थलो हेतु भूमि कय-60 भूमि क्रय में धनराशि व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। निम्नलिखित निधिपो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452808004100(जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्रर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास(	24 (वृहत् निमार्ण कार्य(	25,00,00, रूपये 000 स पच्ची करोड मात्र	25,00,00, रूपये 000 स पच्ची करोड मात्र	10,00,00, रूपये 000 दस करोड मात्र	10,00,00, रूपये 000 दस करोड मात्र	15,00,00, रूपये 000 पंद्रह करोड मात्र	2023 - 2024
044	5452801040109 (प्रासाद योजनान्तर्गत निन्हित स्थलो में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन(	24 (वृहत् निमार्ण कार्य(	15,00,00, रूपये 000 पंद्रह करोड मात्र	15,00,00, रूपये 000 पंद्रह करोड मात्र	10,00,00, रूपये 000 दस करोड मात्र	0	15,00,00, रूपये 000 पंद्रह करोड मात्र	2023 - 2024
044	5452801040107 (स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (.के)100.रा/0(.के-	24 (वृहत् निमार्ण कार्य(	30,00,00, रूपये 000 तीस करोड मात्र	30,00,00, रूपये 000 तीस करोड मात्र	25,00,00, रूपये 000 स पच्ची करोड मात्र	0	30,00,00, रूपये 000 तीस करोड मात्र	2023 - 2024
कुल					रू 45,00,00, 000	रू 10,00,00,00 0		
044	5452801044500 (विभित्र पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय(	60 (भूमि क्रय(	1,00,00,00, रूपये 000 एक अरब मात्र	45,00,00, रूपये 000 पैंतालीस करोड मात्र	10,00,00, रूपये 000 दस करोड मात्र	1,10,00,00, रूपये 000 एक अरब दस करोड मात्र	2023-2024	
कुल				रू 45,00,00, 000	रू 10,00,00, 000			

2- उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख स्थलों का समेकित विकास मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू0 1000.00 लाख की धनराशि का उपयोग न होने के कारण बचत संभावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी०एल०ए०/ बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय- विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2024 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ० प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संख्या:RE-budget-1-194-E-7-283-X-2023-24-दिनांक: 28-11-2023

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन,
उ०प्र० लखनऊ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-5271/41-2023-C.N.1604765-2021, दिनांक:: 04 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ० प्र०, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in